बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

352(11)
21.04.2018

प्रेस–विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय में दायर अवमाननावाद संख्या–1711/2016 अरविन्द प्रसाद एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य (सिविल रिव्यू संख्या–133/2003 सुर्दशन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–10.09.2014 को पारित न्यायादेश से उद्भूत) में दिनांक–15.03.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के विज्ञापन संख्या–01/97 के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बी0सी0जी0 प्रावैधिक के नियुक्ति हेतु कुल 321 उम्मीदवारों में नियुक्ति से वंचित शेष उम्मीदवारों के संबंध में व्यक्तिगत रूप से अलग–अलग उम्मीदवारों के संबंध में गम्भीरतापूर्वक विचार कर सकारण आदेश पारित किया जाना है। उल्लेखनीय है कि बी0सी0जी0 दलनायकों के लिए नियुक्ति हेतु अनुशंसित कुल 37 उम्मीदवारों में से 12 उम्मीदवार भी नियुक्ति से वंचित रह गये।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के आलोक में उपर्युक्त वर्णित दोनों पदों के संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित, सुयोग्य अर्हताधारक उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि विज्ञप्ति प्रकाशन के तिथि के 15 दिनों के अन्दर अपना आवेदन सम्पूर्ण कागजात की अभिप्रमाणित प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

निर्धारित तिथि के अन्दर आवेदन नहीं समर्पित करने की स्थिति में उन उम्मीदवारों पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा।

21/4/18
(डा0 आर0डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

D:\Navin kr. Thakur\T.B\BIBIDH.docx